समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्रं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 19 / 3158

दिनांक 24 DEC 2019

प्रेषक,

कुलसचिव,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
ऑक्सफोर्ड इन्टरनेशनल कॉलेज,
पितृ पर्वत के सामने, जम्बुड़ी हप्सी,
गांधीनगर, इन्दौर (म.प्र.)

विषयः–बी.एड. (दो वर्षीय) पाठ्यकम की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिये प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 13 / 11 / 2019 के निर्णयानुसार एवं विश्वविद्यालय में धारा–52 प्रचलन में होने से माननीय कुलपतिजी द्वारा प्रदत्त शक्तियों उपयोग करते हुए आपके महाविद्यालय द्वारा दिये गये एन.सी.टी.ई. मापदण्डों की पूर्ति बाबद् व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने संबंधी रू.100 / – के नान ज्युडिशिनल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र, चेक लिस्ट एवं जमा वार्षिक सम्बद्धता शुल्क तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अनुमति पत्र के आधार पर बी.एड. (दो वर्षीय) पाठ्यकम की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण सत्र 2019–20 के लिये निम्नांकित के अध्याधीन प्रदान किया जाता है:–

1. महाविद्यालय की सीट संख्या नवीन एन.सी.टी.ई. रेग्युलेशन–2014 के अनुसार बी.एड. में 100 छात्र (दो बेसिक युनिट, प्रत्येक यूनिट 50 छात्र) की रहेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा एन.सी.टी.ई. रेंग्युलेशन–2014 के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
3. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
4. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in. पोर्टल पर प्रति वर्ष महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
5. महाविद्यालय में राष्ट्रीय संवा योजना स्व–पोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावें। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु रूपये 10 / –प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता हैं।
6. WP No. 9089/2016 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-08-2018 के परिपालन में जन शिक्षा समिति विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य I.L.R. (2008) MP 706, सुभाष रहंगडाले विरूद्ध N.C.T.E. (WP No. 6146/2008) तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण आदर्श शिक्षा समिति विरूद्ध सुभाष रहंगडाले 2012 (2) SCC 425 में दिये गये निर्देशों दिये गये निर्देशों का महाविद्यालय द्वारा पूर्ण पालन सूनिश्चित किया जावें एवं इसकी सम्पर्ण जवाबदारी महाविद्यालय की होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृष्ठा. क्रं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 19 /

दिनांक 24 DEC 2019

प्रतिलिपिः–

1. उप–कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन / शैक्षणिक विभाग एवं निर्देशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. विभागाध्यक्ष, शिक्षा अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि., खण्डवा रोड़, इन्दौर।
3. रिकार्ड नस्ती।

उपकुलसचिव(शैक्ष.)